

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

गोपालगंज, दिनांक— 20-09-18

विषय — गोपालगंज जिलान्तर्गत मीरगंज-भोरे PWD पथ किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट खोलने के लिये पहुँच पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति का अनुपालन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग — भवदीय कार्यालय पत्रांक FC-834 दिनांक 01.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के 15 शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रही हूँ—

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगी।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा 0.01425 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 8,921/- मात्र जमा करा दिया गया है।
3. प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है तो मैं अन्तर की राशि का भुगतान करूंगी।
4. 70 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के आधार पर मेरे द्वारा कुल राशि रु० 5,82,135/- मात्र।
5. उपर्युक्त कंडिका संख्या 2 एवं 4 में आकलित कुल राशि रु० 5,91,056/- मात्र बिहार राज्य के लिये निर्धारित CAMPA लेखा में e-challan generate कर दिनांक 17.09.2018 को मेरे द्वारा राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. P18091848990192 है (छायाप्रति संलग्न)।
6. FRA, 2006 का प्रमाण पत्र सैद्धान्तिक स्वीकृति के पूर्व मेरे द्वारा जमा करा दिया गया है।
7. मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगी।
8. मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगी।
 - a) मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगी।
 - b) मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगी।
 - c) मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगी।
 - d) मैं इन शर्तों का अनुपालन करूंगी।
9. मेरे द्वारा रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय वन अच्छादित भू खण्ड के समीप से मिट्टी नहीं काटी जायेगी। और न ही कोई वस्तु का संग्रहण करूंगी।
10. मेरे द्वारा नियोजित मजदूर/कर्मचारी निर्माण के समय किसी तरह का वन को कोई नुकसान नहीं पहुँचायेगा। प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के आस-पास Flora or Fauna उपलब्ध नहीं है।
11. प्रस्तावित भू: खण्ड/ वन भूमि के प्रयोग में परिवर्तन बिना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नहीं करूंगी।
12. मैं अपयोजित वन भूमि का किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी

(61)

13. प्रस्तावित भू-खंड (वन क्षेत्र) का उपयोग पहुँच पथ के रूप में किया जायेगा इसका इस वन क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिये नहीं करूँगी।
14. मैं इस संबंध में समय-समय पर सभी प्रकार के जारी कानून एवं नियमों का पालन करूँगी।
15. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर वन अच्छादन, वृक्ष संरक्षण एवं वन प्रावधान के संबंध में जारी दिशा-निर्देश का पूरी तरह से अनुपालन करूँगी।

अतः अनुरोध है कि विषयगत परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०—यथोक्त

विश्वासभाजन,

दीपमाला देवी

(दीपमाला देवी)